

सीमा शुल्क आयुक्त

बनाम

मैसर्स फेरोडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 8426/2002)

फ़रवरी 21, 2008

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित की कीमत का निर्धारण) वस्तु नियम, 1988-नियम 9(1)(सी)-आयातित वस्तुओं की कीमत शुल्क और राॅयल्टी के बारे में तकनीकी जानकारी का समावेश-तकनीकी खरीदार-लाइसेंसधारी के बीच सहायता और व्यापार चिन्ह समझौता और विदेश सहयोगी-लाइसेंसर-समझौते के तहत, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्पादों के निर्माण की अनुमति-यह नअज्ञप्तिधारक से कच्चा माल आयात करने और अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए था और राॅयल्टी-आयातित वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य लोड करने वाला विभाग शुल्क और राॅयल्टी के बारे में जानने के साथ न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि लाइसेंस प्राप्त उत्पादों से संबंधित शुल्क और राॅयल्टी। भारत में उत्पादित वस्तुओं पर होनी चाहिए आयातित वस्तुओं पर नहीं। इकरारनामे के सम्पूर्ण अवलोकन उपरान्त रायल्टी व अनुज्ञप्ति शुल्क के माध्य कोई संंध नहीं है जोकि आयातित माल के उत्पादक एवं अनुज्ञप्ति के संबंध में है। विभाग को अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्पादों के निर्माण के लिए आयातित वस्तुएँ विभाग को समझौते में मूल्य व्यवस्था और विचार खण्ड दोनों की जांच

करनी थी।

प्रतिवादी ब्रेक लाइनर एवं ब्रेक पेड के भारत में निर्माता ने तकनीकी सहायता और ट्रेडमार्क इकरारनामा एन.के. विदेशी सहयोगी अनुज्ञप्ति धारक के साथ किया लाइसेंसधारी समझौते के तहत लाइसेंसर कुछ गुप्त प्रक्रियाओं के कब्जे में होने का दावा किया। सूत्र और जानकारी जिसे वह प्रकट करने के लिए सहमत था। अनुज्ञप्तिधारी:- अनुज्ञप्तिधारी ने प्रत्यर्थी अनुज्ञप्तिधारी को ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्पादों के निर्माण की अनुमति दी, अनुज्ञप्तिधारी को कच्चे माल का आयात/खरीद करना था। अनुज्ञप्तिधारक से सामग्री और पूंजीगत वस्तुएं और लाइसेंसधारक को राॅयल्टी के साथ लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना था। बेचे गये लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के शुद्ध बिक्री मूल्य पर न्यायाधिकरण ने माना कि तकनीकी ज्ञान-शुल्क और राॅयल्टी आयातित वस्तुओं से संबंधित थे और इस प्रकार आनुपातिक के साथ आयातित वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य जानकारी की राशि शुल्क और राॅयल्टी को लोड किया गया। आयुक्त ने आदेश का पालन किया। हालांकि न्यायाधिकरण ने माना कि शुल्क और राॅयल्टी भुगतान कैसे संबंधित थे। ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड का उत्पादन भारत में किया जाएगा और आयातित वस्तुओं के लिए नहीं। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी। याचिकाओं को खारिज करते हुये अदालत किया कि:-

अभिनिर्धारित: 1.1 आयातित माल से संबंधित राॅयल्टी और लाइसेंस शुल्क वह लागत है जो खरीदार द्वारा उस कीमत के अतिरिक्त खर्च की

जाती है जिसे खरीदार को आयातित माल की खरीद के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में आयातित माल की कीमत के अलावा खरीदार को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के कारण लागत भी वहन करनी पड़ती है जिसे खरीदार भारत में लाइसेंस प्राप्त सामान के उत्पादन की जानकारी पेटेंट व्यापार चिह्न और जानकारी का उपयोग करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करता है। इसलिए दो अवधारणाएं हैं जो एक साथ काम करती हैं अर्थात् आयातित वस्तुओं की कीमत और रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क जो विदेशी आपूर्तिकर्ता को भी भुगतान किया जाता है।

1.2 नियम 9 (1)(सी) में कहा गया है कि तकनीकी जानकारी के लिए किया गया भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा आयातित माल की आपूर्ति के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होनी चाहिए और यदि ऐसी स्थिति मौजूद है तो ऐसी रॉयल्टी और शुल्क को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आयातित माल की कीमत नियम 9(1)(सी) के तहत तकनीकी जानकारी की लागत को शामिल किया जाता है यदि आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में इसका भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना है। यदि ऐसे भुगतान का आयातित माल के कामकाज से कोई संबंध नहीं है तो ऐसा भुगतान आयातित माल की कीमत में शामिल नहीं होगा। नियम 9(1)(सी) में अप्रत्यक्ष रूप से शब्द पर जोर देना चाहेंगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि खरीदार/आयातक आयातित माल की कीमत का

भुगतान करता है। वह तकनीकी जानकारी की लागत भी वहन करता है। इसलिए हर मामले में विभाग को न केवल टीएए को देखना आवश्यक है बल्कि खरीदार और उसके विदेशी सहयोगी के बीच मूल्य निर्धारण व्यवस्था/समझौते को भी देखना आवश्यक है।

1.3 निर्णायक प्राधिकारी ने विदेशी सहयोगी और खरीदार के बीच मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जांच नहीं की थी। इसने केवल रॉयल्टी/टीएए की जांच की है। टीएए अध्ययन पर हम पाते हैं कि रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क का भुगतान पूरी तरह से ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड (लाइसेंस प्राप्त उत्पाद) के निर्माण से संबंधित था। उक्त भुगतान किसी भी तरह से आयातित वस्तुओं से संबंधित नहीं थे। वर्तमान मामले में विभाग द्वारा मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जांच करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क भुगतान के कारण खरीदार द्वारा खर्च की गई लागत और आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान की गई कीमत के बीच कोई मूल्य समायोजन मौजूद है या नहीं। आयातित वस्तुओं की कीमत कम करके रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में हमें ट्रिब्यूनल के आक्षेपित फैसले में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है। इस मामले में विभाग अकेले टीएए द्वारा चला गया है। टीएए को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर हमारा विचार है कि तकनीकी जानकारी के लिए देय रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क और लाइसेंस प्राप्त

उत्पादों के निर्माण के लिए आयातित सामान के बीच कोई संबंध नहीं था।
विभाग ने स्वयं नियम 9(1)(सी) लागू किया है।

1.4 वैकल्पिक रूप से इसने नियम 9(1)(ई) को लागू किया है। यह नियम 9(ई) अकेला नहीं आ सकता। यह नियम 4 का परिणाम है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि जिसे रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क कहा गया था वह वास्तव में ऐसी रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क नहीं था, बल्कि पूर्व अपेक्षित शर्त के रूप में आयातित माल की बिक्री के रूप में भुगतान किया गया था यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम 9 लागत और सेवाओं को संदर्भित करता है। नियम 9(1) के तहत आयातित माल की कीमत में कुछ लागत रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क और उप नियम 9 (1)(ए) से 9 (1)(डी) में उल्लिखित मूल्यों को जोड़कर बढ़ाया जाना था। इसका तात्पर्य आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में वास्तव में किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी भुगतान से है। वर्तमान मामले में विभाग ने नियम 9 (1)(सी) को इस आधार पर लागू किया कि रॉयल्टी आयातित वस्तुओं से संबंधित थी ऐसा न होने पर वह नियम 9(1) (ई) पर वापस नहीं आ सकता क्योंकि मूलतः हम इससे संबंधित हैं। आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी आदि जोड़ना। इसके अलावा वर्तमान मामले में विभाग ने आयातित माल के लेनदेन मूल्य को स्वीकार कर लिया है।

1.5 सीवीआर 1988 का नियम 4 (3)(बी) आयातक को यह प्रदर्शित

करने का अवसर प्रदान करता है कि लेनदेन मूल्य परीक्षण मूल्य के करीब है। इसलिए यह निर्धारित करने में कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या एक मूल्य दूसरे मूल्य के करीब-करीब है। इन कारकों में आयातित वस्तुओं की प्रकृति उद्योग की प्रकृति मूल्यों में अंतर आदि शामिल हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है सीवीआर 1988 के नियम 4(3)(ए) और नियम 4(3)(बी) लेनदेन मूल्य की स्वीकार्यता स्थापित करने के विभिन्न साधन प्रदान करता है। मत्सुशिता टेलीविज़न (सुप्रा) के मामले में मूल्य निर्धारण व्यवस्था विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। हमारे विचार में ऐसी परिस्थितियों में विचार धारा प्रासंगिक है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि मूल्य निर्धारण व्यवस्था और टीएए दोनों को विभाग द्वारा देखा जाना है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी दिए गए मामले में यदि विचार खंड इंगित करता है कि आयातक/खरीदार ने बढ़ी हुई रॉयल्टी की आड़ में आयातित माल की कीमत को समायोजित किया था या यदि विभाग को पता चलता है कि खरीदार ने ऐसे मूल्य निर्धारण समायोजन द्वारा विभाग को गुमराह किया था तो आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क भुगतान को जोड़ना निर्णायक प्राधिकारी के लिए उचित होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि टीएए में विचार खंड प्रासंगिक नहीं है। अंततः मूल्यों के सन्निकटन के परीक्षण के लिए सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः न्यायाधिकरण के विवादित आदेश में कोई असंगतता नहीं है।

न्यायिक निर्णय माननीय न्यायाधीश कपाडिया द्वारा दिया गया।

1. सिविल अपीलों का यह बैच विभाग द्वारा दायर किया गया है और सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ निर्देशित है। जिसके तहत यहां प्रतिवादीगण आयातकों द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी गई है। वे मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं न कि कारण बताओ से। निर्णायक प्राधिकारी ने माना है कि मेसर्स फेरोडो इंडिया प्रा० लिमिटेड, संक्षेप में (खरीदार) मेसर्स टी एंड एन इंटरनेशनल लिमिटेड यूके की सहायक कंपनी है और इस संबंध में विवाद नहीं है।

2. सुविधा के लिए हम सिविल अपील संख्या 8426/02, सीमा शुल्क विभाग बनाम मेसर्स फेरोडो इंडिया प्रा० लिमिटेड में वर्णित तथ्यों को देखते हैं।

3. खरीदार भारत में ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड का निर्माता है। 08.09.1995 को, प्रतिवादी, खरीदार लाइसेंसधारी और मेसर्स टी एंड एन इंटरनेशनल लिमिटेड यूके (विदेशी सहयोगी) (लाइसेंसकर्ता) के बीच एक तकनीकी सहायता और व्यापार चिह्न समझौता, संक्षेप में (टीएए) दर्ज किया गया था। उक्त समझौते के तहत लाइसेंसकर्ता ने कुछ गुप्त प्रक्रियाओं, सूत्रों और सूचनाओं के कब्जे में होने का दावा किया। समझौते के तहत, लाइसेंसकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड, लाइसेंस प्राप्त उत्पाद के निर्माण की अनुमति देने पर सहमत हुआ। समझौते के तहत

लाइसेंसकर्ता लाइसेंसधारक को प्रासंगिक गुप्त प्रक्रियाओं सूत्र और जानकारी का खुलासा करने के लिए सहमत हुआ। समझौते के तहत लाइसेंसधारी को लाइसेंसदाता से कच्चे माल और पूंजीगत सामान आयात/खरीदने की आवश्यकता थी। समझौते के तहत लाइसेंसधारी को बेचे गए उपभोग किए गए या अन्यथा निपटाए गए लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के शुद्ध बिक्री मूल्य के आधार पर रॉयल्टी के साथ लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था।

4. दिनांक 22.09.1999 के आदेश के तहत निर्णायक प्राधिकारी ने माना कि तकनीकी ज्ञान शुल्क और रॉयल्टी आयातित वस्तुओं से संबंधित थे और उसके आयात के लिए बिक्री की शर्त थी और परिणामस्वरूप न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने आयातित माल का सीआईएफ मूल्य लोड कर दिया। जानकारी शुल्क और रॉयल्टी की आनुपातिक राशि के साथ माल, इस संबंध में 1996 (88) ईएलटी 609 (एससी) में रिपोर्ट किए गए सीओसी बनाम एस्सार गुजरात लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था। इस आदेश की पुष्टि कमिश्नर (ए) द्वारा की गई है, हालाँकि, दिनांक 12.02.2002 के आक्षेपित आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने माना कि जानकारी शुल्क और रॉयल्टी भुगतान भारत में उत्पादित होने वाले ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड पर कितनी होनी है यह जानना है न कि आयातित सामान पर। इसलिए विभाग द्वारा यह सिविल अपील की गई।

5. इस मामले में, हमें सीवीआरए 1988 के नियम 9(1)(सी) और नियम 9 (1)(ई) का दायरा निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिन्हें यहां नीचे उद्धृत किया गया है:-

9. लागत और सेवाएँ

(1) लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में, आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में जोड़ा जाएगा.

(ए)

(बी)

(सी) आयातित माल से संबंधित रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क जिसे खरीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकित माल की बिक्री की शर्त के रूप में भुगतान करना पड़ता है इस हद तक कि ऐसी रॉयल्टी और शुल्क कीमत में शामिल नहीं हैं जो वास्तव में भुगतान किया गया या देय था।

(डी)

(ई) आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में खरीदार द्वारा विक्रेता को या खरीदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को विक्रेता को सुस्पष्ट करने एवं दायित्व को पूरा करने के लिए इस तरह के भुगतान की सीमा तक वास्तव में किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी भुगतान वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं हैं।

6. जहां तक यह कहा जा सकता है कि यह लेनदेन मूल्य की

अस्वीकृति का मामला नहीं है हालांकि इसे संबंधित पार्टी लेनदेन माना जाता है। यह प्रकरण नियम 9(1)(सी) के तहत या विकल्प में नियम 9 (1)(ई) के तहत आयातित वस्तुओं की कीमत में समायोजन/वृद्धि से संबंधित है।

7. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के तहत आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन योग्य मूल्य वह कीमत माना जाता है जिस पर आम तौर पर ऐसे या समान सामान बेचे जाते हैं या आयात या निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं जैसा कि मामला अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान हो सकता है जहां विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री या बिक्री की पेशकश के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है।

8. सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम 1988 संक्षेप में सीवीआर 1988) लेनदेन मूल्य के निर्धारण के दौरान आर्म्स लेन्थ कीमत के मूल सिद्धांत को मान्यता देता है। नियम उन वस्तुओं की सही कीमत के निर्धारण का प्रावधान करते हैं जो लेन-देन करने वाले पक्षों के बीच संबंधों से प्रभावित हुए बिना देश में आयात की जाती हैं या देश से बाहर निर्यात की जाती हैं।

9. लेन.देन मूल्य वियोजक मूल्य परिकल्पित मूल्य और अवशिष्ट मूल्य विधियाँ नियमों में निर्धारित विधियाँ हैं जिन्हें आर्म्स लेन्थ के मूल्य निर्धारण के मामले में उस क्रम में क्रमिक रूप से पालन किया जाना

चाहिए।

10. आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए 1962 अधिनियम की धारा 14 को सीवीआर 1988 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि धारा 14(1) के तहत माल की मानी गई कीमत का संदर्भ है आयातित और धारा 14(1ए) के तहत ऐसी मानी गई कीमत सीवीआर 1988 के अनुसार निर्धारित की जानी है।

11. सीवीआर 1988 का नियम 3 अन्य बातों के साथ-साथ आयातित वस्तुओं की कीमत के निर्धारण के छह तरीकों का प्रावधान करता है। जो छह विधियाँ हैं:-

विधि 1 लेनदेन मूल्य (नियम 4) सीमा शुल्क का प्राथमिक आधार लेनदेन मूल्य है जैसा कि सीवीआर 1988 के नियम 4(1) में परिभाषित किया गया है जो भारत में निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है, जोकि नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित है। वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में समायोजन उन मामलों में आवश्यक है जहां कुछ विशिष्ट तत्व जो सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए मूल्य का हिस्सा होते हैं खरीदार द्वारा खर्च किए जाते हैं लेकिन वास्तव में भुगतान की गई कीमत में शामिल नहीं होते हैं या आयातित माल के लिए देय। नियम 9 आयातित वस्तुओं की कीमत पर कुछ लागतों को लगाने के सिद्धांत का प्रतीक है। नियम 9 में कुछ

निश्चित प्रतिफलों को शामिल करने का भी प्रावधान है जो धन के अलावा निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के रूप में खरीदार से आपूर्तिकर्ता तक जाता है।

विधि-2 समान वस्तुओं की टीवी (नियम 5) नियम 5 से नियम 7 तक सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित करने के लिए चार वैकल्पिक तरीकों का प्रावधान है जब कभी नियम 4 के प्रावधानों के तहत ऐसा मूल्य तय नहीं किया जा सकता है।

नियम 5 के तहत आयातित वस्तुओं का मूल्य भारत में निर्यात के लिए बेची गई समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य होगा यदि सामान हैं

(i) सभी मामलों में भौतिक विशेषताओं, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा सहित समान होगा।

(ii) उसी देश में उत्पादित किया गया है जहां माल का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है और

(iii) उत्पादक द्वारा उत्पादित माल का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है।

विधि 3 समान वस्तुओं का टीवी (नियम 6)

इस पद्धति के तहत आयातित वस्तुओं का मूल्य समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य है यदि

(i) सामान्य घटकों सामग्रियों और विशेषताओं के संदर्भ में मूल्यांकित किए जा रहे सामान से काफी मिलता-जुलता है,

(ii) सामान जो समान कार्य करने में सक्षम हैं और मूल्यवान

वस्तुओं के साथ व्यावसायिक रूप से विनिमेय हैं,

(iii) वे सामान जो एक ही देश में उत्पादित होते हैं और सामान के निर्माता द्वारा मूल्यांकित किया जाता है।

नियम 6. मूल्य के निर्धारण का प्रावधान करता है जब लेन-देन का मूल्य नियम 4, 5 और 6 के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आयातक के अनुरोध पर और उचित अधिकारी के अनुमोदन के अधीन निम्नलिखित दो तरीकों की परिकल्पना की गई है, अर्थात् नियम 7 और 7 ए के तहत-

विधि 4 वियोजक मूल्य (नियम 7) में प्रावधान है कि जब आयातित वस्तुओं या समान या समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो आयातित वस्तुओं का मूल्य उस इकाई मूल्य पर आधारित होगा जिस पर आयातित सामान या सामान आयात के देश में किसी असंबंधित खरीदार को सबसे बड़ी कुल मात्रा में बेचा जाता है।

वियोजक मूल्य की गणना में प्रारंभिक बिंदु आयातक देश में वही कीमत है। उस कीमत को प्रासंगिक सीमा शुल्क मूल्य तक कम करने के लिए विभिन्न कटौतियाँ आवश्यक हैं। ये कटौतियाँ हैं-

(i) आमतौर पर भुगतान किया जाने वाला या भुगतान करने के लिए सहमत बिक्री के संबंध में लाभ और सामान्य खर्च/कमीशन शामिल होंगे।

(ii) सामान्य परिवहन लागत और संबंधित बीमा को माल की कीमत

से काटा जाना चाहिए जब ये लागत आम तौर पर आयात के देश के भीतर खर्च की जाती है

(iii) आयात के कारण आयात के देश में देय सीमा शुल्क और अन्य राष्ट्रीय कर

(iv) आगे की प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया मूल्य जहां भी लागू हो।

विधि 5 परिकल्पित मूल्य (नियम 7 ए) परिकल्पित मूल्य माल के उत्पादन की लागत के साथ-साथ लाभ और सामान्य व्यय की राशि के आधार पर सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित करता है जो आमतौर पर (एक ही वर्ग या प्रकार का सामान) निर्यात के देश से आयात के देश में बिक्री में परिलक्षित होता है। इसलिए यह उत्पादन लागत और लाभ और सामान्य व्यय का कुल योग है।

विधि 6 फॉल.बैक विधि (नियम 8) जब सीमा शुल्क मूल्य पिछले किसी भी तरीके के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो इसे सीवीआर 1988 और अधिनियम 1962 की धारा 14(1) और भारत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार के सिद्धान्तों और सामान्य प्रावधानों के अनुरूप उचित साधनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाना चाहिए काफी हद तक संभव है यह विधि पहले से निर्धारित मूल्यों और विधियों पर आधारित है और उनके अनुप्रयोग में लचीलेपन की उचित डिग्री है।

सीवीआर का आधार 1988

12. जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद 7 सीवीआर 1988 की नींव है। उक्त

अनुच्छेद समान या समान वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मूल्यों का परीक्षण करने के लिए सीमा शुल्क मूल्यांकन में आर्म्स लेन्थ कीमत की अवधारणा में लाया गया और ऐसे मामलों में जहां ऐसे मूल्य नहीं थे उपलब्ध है यह कटौती और परिकल्पित मूल्य विधियों के लिए प्रदान किया गया है जो कि आयकर अधिनियम 1961 में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के तहत पुनर्विक्रय मूल्य विधि और लागत प्लस विधि के समान हैं।

सीवीआर में अर्थान्वयन नोट्स की भूमिका 1988

13. शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि नियम 9 (1)(सी) को अर्थान्वयन बिन्दू के साथ पढ़ा जाना चाहिए और जब इसे पढ़ा जाए तो यह सीमा शुल्क को केवल कुछ शर्तों में मूल्यांकन योग्य मूल्य में रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क जोड़ने के लिए अधिकृत करता है। अर्थात् जब रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क आयातित वस्तुओं से संबंधित हो कि जब खरीदार को माल की बिक्री की शर्त के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रेता को भुगतान करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं होते हैं।

14. व्याख्यात्मक नोट्स का एक और महत्व यह है कि इसने आयातक/खरीदार पर नियम 4(3)(ए) और नियम 4 में निर्धारित साधनों के संदर्भ में आयातित वस्तुओं की कीमत की शुद्धता साबित करने का भार डाला है। (3)(बी) दूसरे शब्दों में सीवीआर हस्तांतरण मूल्य अस्वीकार किए जाने की स्थिति में मूल्यांकन विधियों के पदानुक्रम को लागू करने का

आदेश देता है।

नियम 9(1)(सी) का विश्लेषण

15. नियम 9(1)(सी) नियम 4 के तहत लेवी की मात्रा का विस्तार करता है। नियम 9 (4) कहता है कि नियम 9(1) और (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर लेनदेन मूल्य में वृद्धि हो सकती है। इसलिए लागत में वृद्धि केवल नियम 9(1) और (2) के अंतर्गत आने वाली स्थितियों में ही की जा सकती है। नियम 9(1) और (2) एट्रिव्यूशन के सिद्धांत पर आधारित हैं। सीमा शुल्क कानून के तहत मूल्यांकन मूल्य निर्धारण पर किया जाता है जबकि आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के मामले में मूल्यांकन लाभ आधारित होता है। नियम 9(1) और (2) में उल्लिखित स्थितियों के तहत आयातित वस्तुओं की कीमत पर कुछ लागतों (रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क भुगतान सहित) को जोड़ने का सिद्धांत नियम 9 में प्रदान किया गया है। जहां विभिन्न पक्षकार स्वहित के आधार पर लाभांश के स्थानांतरण से बचने के लिए विभिन्न तरीकों से सहमत हो जाए वहां लाभ के आवंटन का सिद्धान्त लागू होता है।

16. नियम 9(1)(सी) के तहत तकनीकी जानकारी की लागत और रॉयल्टी का भुगतान आयातित माल की कीमत में शामिल है यदि उक्त भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्तागण आयातित माल की आपूर्ति के लिए पूर्व शर्त है। यदि ऐसी स्थिति मौजूद है तो तकनीकी जानकारी और रॉयल्टी के लिए किए गए भुगतान को आयातित माल की कीमत में शामिल करना

होगा। दूसरी ओर यदि ऐसे भुगतान का आयातित माल के कामकाज से कोई संबंध नहीं है तो ऐसा भुगतान आयातित माल की कीमत में शामिल नहीं होगा।

17. एस्सार गुजरात लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में ऊपर उल्लेखित पूर्व शर्त का आयातित संयंत्र के कामकाज के साथ सीधा संबंध था और इसलिए इसे उसकी कीमत पर लोड किया जाना था।

18. आयातित माल से संबंधित रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क वह लागत है जो खरीदार द्वारा उस कीमत के अतिरिक्त खर्च की जाती है जिसे खरीदार को आयातित माल की खरीद के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में आयातित माल की कीमत के अलावा खरीदार को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के कारण लागत भी वहन करनी पड़ती है जिसे खरीदार भारत में लाइसेंस प्राप्त सामान के उत्पादन की जानकारी पेटेंट व्यापार चिह्न और जानकारी का उपयोग करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करता है। इसलिए दो अवधारणाएं हैं जो एक साथ काम करती हैं अर्थात् आयातित वस्तुओं की कीमत और रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क जो विदेशी आपूर्तिकर्ता को भी भुगतान किया जाता है। नियम 9 (1)(सी) में कहा गया है कि तकनीकी जानकारी के लिए किया गया भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा आयातित माल की आपूर्ति के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होनी चाहिए और यदि ऐसी स्थिति मौजूद है तो ऐसी रॉयल्टी और शुल्क को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आयातित

माल की कीमत नियम 9(1)(सी) के तहत तकनीकी जानकारी की लागत को शामिल किया जाता है यदि आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में इसका भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना है। इस स्तर पर हम नियम 9(1)(सी) में अप्रत्यक्ष रूप से शब्द पर जोर देना चाहेंगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि खरीदार/आयातक आयातित माल की कीमत का भुगतान करता है। वह तकनीकी जानकारी की लागत भी वहन करता है। इसलिए हर मामले में विभाग को न केवल टीएए को देखना आवश्यक है बल्कि खरीदार और उसके विदेशी सहयोगी के बीच मूल्य निर्धारण व्यवस्था/समझौते को भी देखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि टीएए के साथ मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जांच करने पर विभाग को पता चलता है कि आयातक/खरीदार ने बढ़ी हुई रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क की आड़ में आयातित वस्तु की कीमत को समायोजित करके विभाग को गुमराह किया है, तो निर्णय लेने वाला प्राधिकारी सही होगा। आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क भुगतान की लागत भी शामिल है। ऐसे मामलों में आयातित वस्तुओं की कीमत पर रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क को जोड़ने का सिद्धांत लागू होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक आयातक/खरीदार को न केवल आयातित वस्तुओं की कीमत का भुगतान करना पड़ता है, बल्कि उसे तकनीकी जानकारी की लागत भी वहन करनी पड़ती है जिसका भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता को किया जाता है। इसलिए ऐसे समायोजन निश्चित रूप से

नियम 9(1)(सी) को आकर्षित करेंगे।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर नियम 9(1)(सी) का लागू होना

19. उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर हम पाते हैं कि निर्णायक प्राधिकारी ने विदेशी सहयोगी और खरीदार के बीच मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जांच नहीं की थी। इसने केवल रॉयल्टी/टीएए की जांच की है।

20. जो भी हो वर्तमान मामले में टीएए अध्ययन पर हम पाते हैं कि रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क का भुगतान पूरी तरह से ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड (लाइसेंस प्राप्त उत्पाद) के निर्माण से संबंधित था। उक्त भुगतान किसी भी तरह से आयातित वस्तुओं से संबंधित नहीं थे। वर्तमान मामले में विभाग द्वारा मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जांच करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क भुगतान के कारण खरीदार द्वारा खर्च की गई लागत और आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान की गई कीमत के बीच कोई मूल्य समायोजन मौजूद है या नहीं। आयातित वस्तुओं की कीमत कम करके रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में हमें ट्रिब्यूनल के आक्षेपित फैसले में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है। इस मामले में विभाग अकेले टीएए द्वारा चला गया है। टीएए को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर हमारा विचार है कि तकनीकी जानकारी के लिए देय रॉयल्टी/लाइसेंस

शुल्क और लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के निर्माण के लिए आयातित सामान के बीच कोई संबंध नहीं था। विभाग ने स्वयं नियम 9(1)(सी) लागू किया है।

21. वैकल्पिक रूप से इसने नियम 9(1)(ई) को लागू किया है। यह नियम 9(ई) अकेला नहीं आ सकता। यह नियम 4 का परिणाम है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि जिसे रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क कहा गया था वह वास्तव में ऐसी रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क नहीं था, बल्कि पूर्व अपेक्षित शर्त के रूप में आयातित माल की बिक्री के रूप में भुगतान किया गया था यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम 9 लागत और सेवाओं को संदर्भित करता है। नियम 9(1) के तहत आयातित माल की कीमत में कुछ लागत रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क और उप नियम 9 (1)(ए) से 9 (1)(डी) में उल्लिखित मूल्यों को जोड़कर बढ़ाया जाना था। इसका तात्पर्य आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में वास्तव में किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी भुगतान से है। वर्तमान मामले में विभाग ने नियम 9 (1)(सी) को इस आधार पर लागू किया कि रॉयल्टी आयातित वस्तुओं से संबंधित थी ऐसा न होने पर वह नियम 9(1) (ई) पर वापस नहीं आ सकता क्योंकि मूलतः हम इससे संबंधित हैं। आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी आदि जोड़ना। इसके अलावा वर्तमान मामले में विभाग ने आयातित माल के लेनदेन मूल्य को स्वीकार कर लिया है।

22. एस्सार गुजरात लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में खरीदार ने

डायरेक्ट रिडक्शन आयरन प्लांट (प्लांट) की खरीद के लिए टीआईएल के साथ एक अनुबंध किया था। पूरा समझौता प्लांट के आयात का था। समझौता दो शर्तों के अधीन था. (ए) भारत सरकार की मंजूरी और (बी) मेसर्स मिट्रेक्सए यूएसए से लाइसेंस का हस्तांतरण प्राप्त करना। मिट्रेक्स से लाइसेंस के बिना आयातित संयंत्र खरीदार के लिए किसी काम का नहीं था। इसलिए प्लांट को संचालित करने के लिए मिट्रेक्स से लाइसेंस लेना जरूरी था। इसलिए इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि मिट्रेक्स से लाइसेंस की खरीद बिक्री की एक पूर्व शर्त थी जिसे विशेष रूप से समझौते में ही दर्ज किया गया था। समझौते में इस आशय के विशिष्ट नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने माना कि लाइसेंस शुल्क के माध्यम से मिट्रेक्स को किए गए भुगतान को संयंत्र की खरीद के लिए टीआईएल को भुगतान की गई कीमत में जोड़ा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में टीएए में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसलिए हमारे विचार में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने एस्सार गुजरात लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायिक निर्णय का अनुशीलन करके त्रुटि की है।

23. 2007 (211) ईएलटी 200 (एससी) में रिपोर्ट किए गए मत्सुशिता टेलीविज़न एंड ऑडियो इंडिया लिमिटेड बनाम सीओसी के मामले में निर्धारण के लिए यह प्रश्न उठा था कि क्या रॉयल्टी राशि आयातित वस्तुओं की कीमत शामिल थी। उस मामले में अपीलकर्ता तकनीकी सहायता और जानकारी प्राप्त करने के लिए एमईआईए जापान

और एसआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। समझौते के तहत अपीलकर्ताओं को एमईआई द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित रंगीन टीवी रिसेवरों की शुद्ध पूर्व फैक्टरी बिक्री मूल्य पर 3% की दर से रॉयल्टी का भुगतान करना था। अपीलकर्ताओं को तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण के लिए एमईआई को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की एकमुश्त राशि का भुगतान करना था। अपीलकर्ता का मामला था कि रॉयल्टी का भुगतान आयातित माल से संबंधित नहीं था क्योंकि उक्त भुगतान तकनीकी सहायता की आपूर्ति के लिए किया गया था न कि घटकों की बिक्री के लिए पूर्व शर्त के रूप में।

24. इस सिविल अपील में निर्धारण योग्य प्रश्नों में से एक यह है कि क्या विभाग द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केवल टीएए में विचार खंड पर निर्भरता रखी जा सकती है कि रॉयल्टी का भुगतान महत्वपूर्ण घटकों की कीमत में शामिल था।

25. सीवीआर 1988 का नियम 4 (3)(बी) आयातक को यह प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है कि लेनदेन मूल्य परीक्षण मूल्य के करीब है। इसलिए यह निर्धारित करने में कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या एक मूल्य दूसरे मूल्य के करीब-करीब है। इन कारकों में आयातित वस्तुओं की प्रकृति उद्योग की प्रकृति मूल्यों में अंतर आदि शामिल हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है सीवीआर 1988 के नियम 4(3)(ए) और नियम 4(3)(बी) लेनदेन मूल्य की स्वीकार्यता स्थापित करने के

विभिन्न साधन प्रदान करता है। मत्सुशिता टेलीविजन (सुप्रा) के मामले में मूल्य निर्धारण व्यवस्था विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। हमारे विचार में ऐसी परिस्थितियों में विचार धारा प्रासंगिक है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि मूल्य निर्धारण व्यवस्था और टीएए दोनों को विभाग द्वारा देखा जाना है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी दिए गए मामले में यदि विचार खंड इंगित करता है कि आयातक/खरीदार ने बढ़ी हुई रॉयल्टी की आड़ में आयातित माल की कीमत को समायोजित किया था या यदि विभाग को पता चलता है कि खरीदार ने ऐसे मूल्य निर्धारण समायोजन द्वारा विभाग को गुमराह किया था तो आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क भुगतान को जोड़ना निर्णायक प्राधिकारी के लिए उचित होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि टीएए में विचार खंड प्रासंगिक नहीं है। अंततः मूल्यों के सन्निकटन के परीक्षण के लिए सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अन्य समानान्तर परिस्थितियों के साथ-साथ प्रतिफल खण्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने मत्सुशिता टेलीविजन (सुप्रा) के मामले में यह विचार किया था कि रॉयल्टी भुगतान को आयातित सामान की कीमत में जोड़ा जाना चाहिए।

26. उपरोक्त कारणों से हमें न्यायाधिकरणों के आक्षेपित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तदनुसार विभाग द्वारा दायर सिविल अपीलें बिना किसी हर्जे के खारिज कर दी जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कृष्ण राकेश कांवट (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।